

सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम — होगा ।

2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय— द्वारा—

.....

..... (छ.ग.)

3. सोसाइटी का उद्देश्य निम्नलिखित होंगे: —

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

4. सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिशद, संचालकों समिति या षासी-निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :—

अनुक्रमांक	नाम / पिता / पति का नाम	पता	उपजीविका
1.			

2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

5. छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनयम का सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान – ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुक्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर

तारीख :
प्रति,

सोसाइटियों का रजिस्ट्रार

रायपुर (छ.ग.)

साक्षी
हस्ताक्षर

नाम – श्री पिता श्री

पूर्ण पता –
.....

नियमावली

1. संस्था का नाम — होगा ।

2. संस्था का कार्यालय — द्वारा—

.....;

.....

3. संस्था का कार्यक्षेत्र — होगा ।

4. संस्था का उद्देश्य — (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वहीं लिखें)

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

5. **सदस्यता** — संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) **संरक्षण सदस्य** :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये/— या अधिक एकमुष्ट या एक साल में बारह किष्टों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) **आजीवन सदस्य** :- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये/— या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रुपये/— या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

- (स) **साधारण सदस्य :-** जो व्यक्ति/— रु. माह रुपये/— रु. प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।
- (द) **सम्माननीय सदस्य :-** संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार न होगा ।
6. **सदस्यता की प्राप्ति :-** प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।
7. **सदस्यों की योग्यता :-** संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-
- (1) भारतीय नागरिक हो ।
 - (2) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
 - (3) समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
 - (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।
8. **सदस्यता की समाप्ति :-** संस्था की सदस्यता निम्न लिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी —
- (1) चरित्रक दोष होने पर पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर ।
 - (2) समिति विरोधी कार्य करने एवं नियमावली की अवहेलना करने पर ।
 - (3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।

- (4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर ।
- (5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा ।

9. **सदस्यता पंजी :-**

संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे -

- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय.
- (2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नं.
- (3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो.
- (4) सदस्यों के हस्ताक्षर.

10. (अ) **साधारण सभा :-** साधारण सभा के नियम 5 (अ.ब.स.) में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेष्टित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा :-** प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

(स) **विषेश :-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक

बुलाई जाएगी विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. प्रबन्धकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष, (2)उपाध्यक्ष (3) सचिव, (4) कोशाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं

सदस्य —

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आषय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
- (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।
- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए ।
- (च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।
- (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।
- (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्ष कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठक का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार:-

- (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।
- (2) समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
- (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।
- (4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये/- रुपये व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार : सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. कोशाध्यक्ष के अधिकार : समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष, सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोशाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये/- रु. रहेगे ।

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत पुल्क के साथ भेजेगी ।

22. **संशोधन** :-संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।
23. **विघटन** :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.
24. **सम्पत्ति** :- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।
25. **बैंक खाता** :- संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट-ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय- समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।
26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना**:- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।
27. **विवाद** :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोश न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

**छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण 1973 अधिनियम (संशोधित
1998) के धारा 10 एवं 13 अंतर्गत संशोधन हेतु प्रारूप-चार**

प्ररूप - चार
(नियम 9 देखिये)

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973

की धारा 10 तथा 13 के अधीन आवेदन

1. सोसायटी का नाम तथा पूरा पता
2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख
3. वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या
4. सोसायटी के रजिस्ट्रीकृत विनियम के किस
विनियम के अधीन संशोधन प्रस्तावित है
5. संशोधन प्रस्ताव कार्यकारिणी की किस
तारीख के सम्मिलन में पारित हुआ,
सम्मिलन की सूचना कितने सदस्यों को
दी गई तथा गणपूर्ति क्या रही
6. साधारण सम्मिलन की तारीख क्या है तथा
सम्मिलन किस नियम के अधीन बुलाया गया
सूचना कितने दिनों की दी गई, कितने
सदस्य उपस्थित रहे तथा सम्मिलन की
गणपूर्ति क्या थी।
7. संशोधन प्रस्ताव तथा संशोधन नियमों
तथा विनियमों की तीन प्रतियां प्रत्येक
पृष्ठ पर कार्यकारिणी के तीन सदस्यों
द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पूर्ण
ब्यौरों सहित प्रस्तुत करें, ऐसे नियमों,
जिनके खण्ड में संशोधन प्रस्तावित है,
को दर्शाते हुए विद्यमान उपबन्धों तथा
कारणों सहित संशोधन का तुलनात्मक
चार्ट भी कृपया प्रस्तुत करें।
8. जापन तथा नियमों और विनियम में संशोधन हेतु विहित फीस रुपये रसीद
क्रमांक दिनांक चालान क्र. दिनांक द्वारा जमा
कर दिये गये हैं, चालान की मूल प्रति संलग्न है।
9. मैं पुत्र आयु..... निवासी
..... पदनाम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त समस्त
जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और मैं यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या
जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन दण्डनीय होगा।

(अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

- छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के धारा 21 के अधीन स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने हेतु आवेदन प्रारूप-6

प्रारूप-छः
(नियम 10 देखिये)

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा-21 के अधीन स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने या विक्रय, दान आ अन्यथा के लिये अनुज्ञा चाहने हेतु आवेदन

1. सोसायटी का नाम तथा पूरा पता
2. सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख
3. सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति की पूर्ण विशिष्टियाँ
4. अर्जित/क्रय/दान/अंतरण/विक्रय की जाने वाली या
अन्यथा स्थावर सम्पत्ति की खसरा, क्रमांक, नक्शा
स्वामित्व के प्रमाण पत्र आदि के साथ पूर्ण विशिष्टियाँ
5. स्थावर सम्पत्ति के विक्रय/क्रय या अन्यथा
अंतरण या सोसायटी के उद्देश्यों से भिन्न
संपत्ति के उपयोग का कारण
6. संपत्ति के क्रेता या विक्रेता का पूरा नाम
तथा पता
7. स्थानीय सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा
स्थायर सम्पत्ति के मूल्य की युक्तियुक्तता
प्रमाण पत्र
8. स्थावर सम्पत्ति का क्रय/विक्रय या अंतरण करने
के लिये सोसायटी के नियमों तथा विनियमों
के अनुसार कार्यवृत्त (संकल्प) की प्रतियाँ
9. यदि विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जनजाति का हो, तो
इस संबंध में कलेक्टर का आदेश संलग्न करें
10. अन्य कोई जानकारी, यदि कोई हो (जैसे कि
निधियों के स्रोत आदि)
11. स्थावर सम्पत्ति क्रय, विक्रय, अंतरण आदि के
लिये अनुज्ञा फीस रुपये रसीद/चालान
क्रमांक.....तारीखी..... द्वारा
जमा की गई है, चालान की मूल प्रति संलग्न है।

.....
अध्यक्ष के नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारूप-7
(नियम 11 देखिये)

रजिस्ट्रार, फॉर्स एवं सोसायटी को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अधीन शासी-निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र वर्ष_____

1. सोसायटी का पुरा नाम व पता :- नाम_____ पता_____

कार्यक्षेत्र_____
2. रजिस्ट्रेशन क्रमांक व दिनांक :- _____
3. कुल सदस्यों की संख्या, उनके नाम व पते संलग्न करें। :- _____
4. रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी-निकाय की अवधि। :- _____
5. वर्तमान निर्वाचन की तिथि और उपस्थित सदस्यों की संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी। :- _____
6. विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्व पदाधिकारियों से किस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया एक सूची उनके नाम, पते तथा संपर्कविकाय उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न करें। :- _____
7. पूर्व निर्वाचन की तारीख :- _____
8. सोसायटी के नियमों तथा विनियम के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन का मास तथा दिनांक। :- _____
9. अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई :- _____
थी, यदि प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उसका क्या कारण था।
10. इस वर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन के :- _____
कार्यपत्र तारीख सहित संलग्न करें।
11. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन सूची की वार्षिक फीस भालान की सुसंप्रति संलग्न है। :- _____

मैं _____ पिता _____
पद _____ आयु _____ प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के सत्य है और मैं यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन दण्डनीय है।

अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर